



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273760  
CG-DL-E-23062026-273760

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3180]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3180]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3312(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 1893(E) तारीख 13/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले में NH752H के कि.मी. 98.175 से कि.मी.102 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23/04/2026 को "लोकमत टाइम्स", 23/04/2026 को "लोकमत मराठी" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले में NH752H के कि.मी. 98.175 से कि.मी.102 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: छत्रपति संभाजीनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: छत्रपती संभाजीनगर					
गांव का नाम: अब्दीमंडी					
1	12	निजी (12)	एग्रीकल्चर	0.79	तन्वी मन्वीर अगरवाल, मन्वीर अगरवाल 12
2	37	निजी (37)	एग्रीकल्चर	0.99	तन्वी मन्वीर अगरवाल, दर्शन नंदलाल सवाईवाला, निखिल किरण गंगवाल, संजय विरेन्द्रसिंह चौहान, मन्वीर अगरवाल, शेख अब्दुल जाकिर तबा 1.17 आर् , सय्यद सरवार सलामी तबा 0.19 आर् 37
<b>Total</b>				<b>1.78</b>	

[फा.सं. RO/MUM/NH(0)/2023-24/99/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2026

**S.O. 3312(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1893(E) Dated:13/04/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH752H in the stretch of land from Km. 98.175 to Km. 102 in the district of Chhatrapati Sambhajnagar in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “LOKMAT TIMES” dated 23/04/2026 , “Lokmat Marathi” dated 23/04/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752H in the stretch of land from Km. 98.175 to Km. 102 in the district of Chhatrapati Sambhajnagar in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Chhatrapati Sambhajnagar		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Chhatrapati Sambhajnagar</b>					
<b>Village: Abdimandi</b>					
1	12	Private (12)	Agriculture	0.79	Tanvi Manooveer Agarwal, Manooveer Agarwal 12
2	37	Private (37)	Agriculture	0.99	Tanvi Manooveer Agarwal, Darshan Nandlal Sawaiwala, Nikhil Kiran Gangwal, Sanjay Virendrasingh Chauhan, Manooveer Agarwal, Shaikh Abdul Jakir Taba 1.17 R , Sayyad Sarwar Salami Taba 0.19 R 37
<b>Total</b>				<b>1.78</b>	

[F. No. RO/MUM/NH(0)/2023-24/99/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director